कार्यालयः– जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

विज्ञापन

दुर्ग, दिनांक 07/10/2016

आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि– **09.11.2016** – संध्या 5:00 बजे तक

जिला एवं सत्र न्यायालय दुर्ग के अंतर्गत रिक्त सहायक प्रोग्रामर, स्टेनोग्राफर (हिन्दी/अंग्रेजी), सहायक ग्रेड –3 (साक्ष्य लेखक/सहायक अभिलेखापाल/जूनियर नायब नाजिर/सेल अमीन/आदेशिका लेखक) एवं भृत्य के निम्नांकित पदों पर अर्हता प्राप्त भारतीय नागरिक और भारत शासन द्वारा मान्य अन्य श्रेणी के उम्मीदवारों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते है :–

<u>रिक्त पदों का विवरण एवं योग्यता</u>

क0	पदनाम	रिक्त पदों की संख्या	अनारक्षित पद				आरक्षित पद											
							अन्य पिछडा वर्ग				अनुसूचित जाति				अनुसूचित जनजाति			
			मुक्त	महिला	दिव्यांग	भू0 पू0 सै0	मुक्त	महिला	दिव्यांग	भू0 पू0 सै0	मुक्त	महिला	दिव्यांग	भू0 पू0 सै0	मुक्त	महिला	दिव्यांग	भू0 पू0 सै0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
									तृतीय श्रेणी पद									
1	सहायक प्रोग्रामर	01	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2	स्टेनोग्राफर (हिन्दी)	17	4	3	2	1	1	–	–	–	3	1	–	–	1	1	–	–
3	स्टेनोग्राफर (अंग्रेजी)	02	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
4	सहायक ग्रेड–तीन (साक्ष्य लेखक /सहा. अभिलेखापाल/ आदेशिका लेखक/ जूनियर नायब नाजिर/ सेल अमीन	37	12	7	1	2	1	1	1	–	5	2	1	–	2	1	1	–
योग		57	18	10	3	3	2	1	1	–	8	3	1	–	4	2	1	–
									चतुर्थ श्रेणी									
5	भृत्य	19	7	5	2	3	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–

नोट :– विशेष न्यायालय (एट्रोसिटीज) स्थापना का स्टेनोग्राफर एवं भृत्य का एक–एक पद सम्मिलित हैं। भृत्य के रिक्त पद में दफ्तरी कम फर्राश का एक पद सम्मिलित है।

संकेतक – **मु.–मुक्त, म.–महिला, दि.–दिव्यांग, भू.पू.सै.– भूतपूर्व सैनिक,**

भर्ती की पात्रता एवं शर्तें

(1) सहायक प्रोग्रामर के पद के लिए :–

अ– वेतनमान :– वेतन बैण्ड 9300–34800 + ग्रेड वेतन 4300

ब– शैक्षणिक योग्यता :–

यूनिक्स/ओपन सोर्स साफ्टवेयर/विंडोज एन.टी में कार्य करने के अनुभव के साथ निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यता–

(1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था से कम्प्यूटर विज्ञान या संबंधित विषय में एम.सी.ए./एम.एस.सी./बी.ई./ बी.टेक डिग्री।

अथवा

(2) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी स्नातक उपाधि के साथ D.O.E. से "A" लेवल कोर्स या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से P.G.D.C.A तथा प्रोग्रामिंग/ साफ्टवेयर डेव्हलपमेंट में तीन वर्ष का अनुभव।

नोट :– 1. उच्च शैक्षणिक योग्यता वाले को प्राथमिकता दी जावेगी।
2. न्यायालय में ई–कोर्ट प्रोजेक्ट के कार्यानुभव वाले को प्राथमिकता दी जावेगी।

(2) स्टेनोग्राफर हिन्दी/अंग्रेजी के पद के लिये –

अ– वेतनमान वेतन बैण्ड रूपये 5200–20200/– ग्रेड वेतन **रूपये 2800/–**

ब– शैक्षणिक योग्यता

1- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के लिये न्यूनतम **40** प्रतिशत तथा अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के लिये न्यूनतम **45** प्रतिशत अंको के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण ।

2. छत्तीसगढ़ या मध्यप्रदेश शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन बोर्ड या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समकक्ष बोर्ड द्वारा हिन्दी शीघ्रलेखन एवं मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र तथा अंग्रेजी शीघ्र लेखक के पद के लिये अंग्रेजी शीघ्रलेखन एवं मुद्रलेखन परीक्षा उतीर्ण का प्रमाण पत्र रखता हो।

3- किसी विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन [DCA] के साथ एम एस वर्ड तथा इंटरनेट/कम्प्युटर का न्यूनतम ज्ञान ।

(3) सहायक ग्रेड –3 (साक्ष्य लेखक/सहा.अभिलेखापाल/आदेशिका लेखक/जूनियर नायब नाजिर/सेलअमीन) के पद के लिये

अ– वेतनमान वेतन बैण्ड रूपये 5200–20200/– ग्रेड वेतन रूपये 1900/–

ब– <u>शैक्षणिक योग्यता</u>

1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के लिये न्यूनतम 40 प्रतिशत तथा अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के लिये न्यूनतम 45 प्रतिशत अंको के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण।

2. छत्तीसगढ़ या मध्यप्रदेश शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन बोर्ड या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समकक्ष बोर्ड द्वारा हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र ।

3- किसी विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन [DCA] के साथ एम एस वर्ड तथा इंटरनेट/कम्प्युटर का न्यूनतम ज्ञान।

(4) भृत्य के पद के लिये :–

अ– वेतनमान :– वेतन बैण्ड 4750–7440 + ग्रेड वेतन 1300

ब– शैक्षणिक योग्यता :– कक्षा पांचवीं उत्तीर्ण।

नोटः– ड्रायव्हर, कुक, माली, इलेक्ट्रिशियन, बढ़ई एवं प्लंबर के कार्य के अनुभव प्राप्त उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जायेगी तथा अनुभव के संबंध में यदि प्रमाण–पत्र हो तो आवेदन के साथ संलग्न करे।

आयु सीमा एवं पात्रता की अन्य शर्ते

(1) रोजगार कार्यालय में उनका पंजीयन जीवित हो (कार्यरत् शासकीय सेवकों को छूट होगी)

(2) (अ) कोई भी उम्मीदवार, जिसने विवाह के लिये निर्धारित आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा ।

(ब) कोई पुरूष उम्मीदवार, जिसकी एक से अधिक पत्नियॉ जीवित हो, और कोई भी महिला उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले एक पत्नी जीवित हो, नियुक्ति का पात्र नहीं होगा ।

(स) कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान है, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।

(3) दिनांक 01/01/2016 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली गई हो, परन्तु 35 वर्ष की आयु पूरी न की गई हो । छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय नया रायपुर के ज्ञापन कमांक–एफ–3–2/2015/3/एक, नया रायपुर दिनांक 17/12/2015 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती में एक बार के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में 5 वर्ष की छूट कलेण्डर वर्ष 2016 की समाप्ति तक प्रदान की गई है।

(4) उच्चतम आयु सीमा में छूट :–

निम्नलिखित श्रेणी के उम्मीद्वारों को अधिकतम सीमा में निम्नानुसार छूट रहेगीः–

4 (एक)(1)– यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति या जनजाति का है, तो आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष तक छूट दी जावेगी ।

4 (एक)(2)– यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अन्य पिछड़ा वर्ग का है, तो सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ–7–25–93/1 आ.प्र. दिनांक 20.01.1994 के अन्तर्गत आयु सीमा में अधिकतम 05

वर्ष की छूट दी जावेगी । अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदक को क्रीमीलेयर के अंतर्गत नहीं होना चाहिए।

4 (एक)(3)– छत्तीसगढ़ शासन के स्थायी/अस्थायी/वर्कचार्ज या कन्टिजेंसी पेड कर्मचारियों तथा छत्तीसगढ़ राज्य के निगमों/मण्डलों आदि के कर्मचारियों के संबंध में उच्चतम आयु सीमा 38 वर्ष तक रहेंगी। यही अधिकतम आयु परियोजना क्रियान्वयन समिति के अंतर्गत कार्यरत कर्मचरियों के लिये भी स्वीकार्य होगी ।

4 (एक)(4)– ऐसा अभ्यर्थी जो छंटनी किया गया सरकारी सेवक हो, अपनी आयु में उसके द्वारा पहले की गई सम्पूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष की कालावधि, भले ही यह अवधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा, परन्तु उसके परिणामस्वरूप अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

स्पष्टीकरण :– छंटनी किए गए शासकीय सेवक से तात्पर्य है जो इस राज्य की अस्थायी सेवा में लगातार कम से कम 6 माह तक रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्टर्ड कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक 3 वर्ष पूर्व स्थापना मे कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया है ।

4 (एक)(5)– ऐसे अभ्यर्थी को, जो भूतपूर्व सैनिक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा, किन्तु उसके परिणाम स्वरूप जो आयु निकले, वह अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

4 (एक)(6)– महिलाओं के आयु सीमा में शासन के नियमानुसार 10 वर्ष शिथिलनीय होगी। जो कि उनके वर्ग में मिलने वाली आयु सीमा में छूट के अतिरिक्त होगी ।

4 (एक)(7)– सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.1–2/2002/1/3 दिनांक 02.06.2004 के अनुसार शिक्षाकर्मियों को शासकीय सेवा में उतने वर्ष की छूट दी जायेगी, जितने वर्ष शिक्षाकर्मी के रूप में सेवा की है, इसके लिये 6 माह से अधिक सेवा की अवधि एक वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी । जिन वर्गों को पूर्व से ही आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जा रहा है।(अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विधवा/परित्यकता महिला आदि) वे इस निर्देश से प्रभावित नहीं होंगे ।

4 (एक)(8)– स्वयं सेवी नगर सैनिकों (वालेन्टरी होमगार्ड) नगर सेवा के नाम कमिशन्ड अधिकारियों के मामले में अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा इस प्रकार की सेवा की उतनी कालावधि तक छूट 8 वर्ष की सीमा में अध्याधीन रहते हुये दी जायेगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

4 (एक)(9)– विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिलाओं के लिये उच्चतम आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष की अधिकतम छूट रहेगी ।

4 (दो)(1)– आदिम जाति हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अन्तरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दम्पत्तियों के सवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी. 3/10/85/3/1 दिनांक 29.06.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु की सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी।

4 (दो)(2)– विक्रम पुरस्कार, शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीण चन्द्र भंज सम्मान, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवाओं को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ–19–2/2005/1–3, दिनांक 01.12.2006 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट दी जाएगी ।

4 (दो)(3)– उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ.6–10/2004/1–9 दिनांक 06.07.2010 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी ।

टीप :– **(1)** बिन्दु क्रमांक 4 (एक) में अधिक लाभकारी वाली एक ही छूट मिलेगी।

(2) बिन्दु क्रमांक 4 (दो) के अंतर्गत प्रोत्साहन स्वरूप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्यों/योजनाओं के अंतर्गत दी गई छूटों में यदि कोई आवेदक एक से अधिक छूटों का आधार रखता है तो उसे आयु सीमा में सर्वाधिक (अधिकतम) लाभ वाले किसी एक आधार (प्रोत्साहन वाले) के लिये छूट मिलेगी । यह छूट बिन्दु क्रमांक (एक) में दी गई विशेष छूट के अतिरिक्त होगी ।

उदाहरण :– यदि कोई आवेदक अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ावर्ग विक्रम पुरस्कार प्राप्त धारक हो तो उसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ावर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा में निर्धारित 5 वर्ष की छूट के साथ प्रोत्साहन वाले अधिक लाभकारी विक्रम पुरस्कार के आधार वाली 5 वर्ष की छूट और दी जाएगी। अन्तरजातीय विवाह के लिए निर्धारित छूट नहीं दी जायेगी । अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ावर्ग के लिए आयु सीमा 5 वर्ष की छूट अधिकतम आयु की सीमा में छूट का लाभ दिया जा सकेगा । अतः विक्रम पुरस्कार अथवा अंतरजातीय विवाह के निर्धारित आयु की छूट नहीं दी जायेगी।

(3) यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी, कि वे आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं तथा शर्तों को पूरा करते है । अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भेजें । परीक्षा में सम्मिलित किये जाने का यह अर्थ कदापि नहीं होगा कि, आवेदक को अर्हत मान लिया गया है । चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्हत पाए जाने पर उसका आवेदन निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जायेगी। नियुक्ति पश्चात् जांच में भी किसी समय अनर्हत पाये जाने पर उसकी नियुक्ति समाप्त कर दी जावेगी।

(4) अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पद केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है । मध्यप्रदेश

सहित अन्य प्रदेशों के मूल निवासी ऐसे आवेदक जो अपने मूल निवास के राज्य में अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्य हो, अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए विज्ञापित पद के विरूद्ध ही अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों की तुलना में विचारित किये जाएंगे, आरक्षित पद के विरूद्ध नहीं ।

(5) किसी भी प्रवर्ग में महिलाओं के लिए आरक्षित पद उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के अभाव के कारण चयन न होने से रिक्त रह जाते है तो ऐसे रिक्त पद उसी प्रवर्ग के पुरूष उम्मीदवारों के चयन द्वारा भरें जा सकेंगे ।

(6) यदि आवेदक कोई अन्य छूट आयु के संबंध में लेना चाहता है तो राज्य सरकार के आयु सीमा के निर्देश का उल्लेख एवं नियम बताते हुए दस्तावेज संलग्न कर छूट प्राप्त कर सकता है।

आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया

1— आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत किये जा सकेंगे । पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र **दिनांक—09/11/2016 की संध्या 5.00** बजे तक बंद लिफाफे में जिस पर स्पष्ट रूप से आवेदित पद (पद का नाम) के पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखा हो, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छ0ग0) पिनकोड नं0—**491001** के कार्यालय में परीक्षा सेल अनुभाग के नाम से **रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट** द्वारा भेजे जा सकते हैं, **अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा। दिनांक—09/11/2016 की संध्या 5.00 बजे** के उपरान्त प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा । आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता, जाति, निवासी आदि से संबंधित प्रमाण पत्र की स्वयं अभिप्रमाणित **(SELF ATTESTED)** प्रतियां संलग्न करना आवश्यक होगा । विज्ञापन व आवेदन पत्र के प्रारूप की प्रति जिला न्यायालय दुर्ग की वेब साईट **ecourts.gov.in/durg** से डाउनलोड की जा सकती है।

2— जन्मतिथि की सत्यता हेतु जन्म प्रमाण पत्र अथवा हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण करने की अंकसूची की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें ।

3— ऐसे अभ्यर्थी जो शासकीय एवं अर्द्धशासकीय संस्था में सेवारत है, उन्हें अपने नियुक्ति विभाग प्रमुख द्वारा प्रदत्त परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा ।

4— आवेदन पत्र के साथ स्वयं का पूर्ण नाम एवं पता लिखे हुए दो लिफाफे पर 5/—रू0 की डाक टिकट चस्पा करते हुए आवश्यक रूप से संलग्न करे । यदि आवेदक द्वारा टिकिट चस्पा किया हुआ लिफाफा संलग्न नहीं किया जाता है तो परीक्षा के संबंध में सूचना प्राप्त नहीं होने की जवाबदारी कार्यालय की नहीं होगी।

5— आवेदक यदि सहायक प्रोग्रामर, अंग्रेजी/ हिन्दी स्टेनोग्राफर एवं सहायक ग्रेड—3 के सभी या कोई दो पदों के लिए आवेदन प्रस्तुत करना चाहता है तो उसे प्रत्येक पद हेतु पृथक पृथक निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत करना होगा तथा एक पद के लिए केवल एक ही आवेदन स्वीकार किया जायेगा।

6— विज्ञापन प्रकाशन तिथि के पूर्व प्राप्त एवं प्रेषित आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

7— लिखित परीक्षा जांच पश्चात अर्हताधारी अभ्यार्थियों को कौशल परीक्षा के लिए उपस्थित होने हेतु पृथक सूचना दी जावेगी । जिन उपयुक्त आवेदकों को कौशल परीक्षा तिथि के पूर्व तक उपस्थित होने की सूचना प्राप्त नहीं होती है, तो वे जिला न्यायालय की वेब साईट **ecourts.gov.in/durg** से अपना प्रवेश पत्र (Admit Card) डाउन लोड कर आई.डी.प्रूफ (पहचान पत्र) यथा— ड्रायविंग लाइसेंस/वोटर आई. डी.कार्ड/ आधार कार्ड/ पेन कार्ड/ स्मार्ट कार्ड सहित उपस्थित होगें। यदि उनकी उम्मीदवारी सही पाई गई तो कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जा सकेगी।

अपुर्ण तथा त्रुटिपूर्ण जानकारी

प्रत्येक आवेदक को चाहिए कि वह विज्ञापन में दिए गए निर्देशों तथा आवेदन पत्रों में सभी जानकारी देखकर अत्यन्त सावधानीपूर्वक सही एवं पूर्ण जानकारी भरें। यदि आवेदन पत्र में कोई जानकारी अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण दी जाती है, उसकी पूरी जिम्मेदारी आवेदक की होगी । त्रुटि तथा अपूर्णता के आधार पर आवेदक को बिना पूर्व सूचना दिये आवेदन पत्र, चयन के किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकेगा।

I - चयन प्रक्रिया

सहायक प्रोग्रामर, स्टेनोग्राफर (हिन्दी/अंग्रेजी) एवं सहायक ग्रेड–3 (साक्ष्य लेखक/सहा.अभिलेखापाल/आदेशिका लेखक/जूनियर नायब नाजिर/ सैलअमीन) के रिक्त पदो हेतु –

1— उपरोक्त पदों के चयन हेतु रिक्त पदों की संख्या से तीन गुना से ज्यादा आवेदन प्राप्त होने पर एक स्वतंत्र लिखित परीक्षा जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छ0ग0) द्वारा आयोजित की जा सकेगी । लिखित परीक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर रिक्त पदों पर तीन गुना तक अभ्यर्थी कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किए जायेंगे। लिखित परीक्षा में अंतिम क्रमांक पर एक समान अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की संख्या एक से अधिक होने पर कौशल परीक्षा के लिए चयनित उम्मीदवारों की संख्या 3:1 से कम या अधिक हो सकती है। लिखित परीक्षा मात्र कौशल परीक्षा हेतु उम्मीदवारों की छंटनी के लिए होगी। केवल कौशल परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर प्रावीण्य सूची तैयार की जायेगी, और उक्त सूची के अनुसार जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छ0ग0) के द्वारा नियुक्ति आदेश जारी किया जाएगा । उपरोक्त पदों पर चयनित उम्मीदवार की प्रावीण्य सूची के साथ ही प्रतीक्षा सूची भी जारी की जावेगी, जो अधिकतम एक वर्ष के लिए वैध होगी ।

2— समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में जन्मतिथि के आधार पर वरीयता तय जायेगी, जिस अभ्यर्थी की जन्मतिथि पहले होगी उन्हे प्राथमिकता प्रदान की जाएगी ।

3— चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता/अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छ0ग0) को होगा ।

4— चयनित उम्मीदवार को कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

5— चयनित उम्मीदवार को इस आशय का घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसके विरूद्ध कोई आपराधिक प्रकरण वर्तमान में लंबित नहीं है तथा पूर्व में उसे किसी *आपराधिक प्रकरण में दोषसिद्ध नहीं किया गया हो*। जिला चिकित्सालय दुर्ग के चिकित्सा बोर्ड से स्वस्थता (Fitness) प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के बाद ही सेवा में लिया जाएगा,

तथा आरक्षित वर्ग के चयनित उम्मीदवार के जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन संचालक आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान छत्तीसगढ़ रायपुर से कराये जाने पर विपरीत टीप प्राप्त होने पर सेवा से पृथक किया जा सकेगा। कार्यालय द्वारा चयनित उम्मीदवार की नियुक्ति उपरांत उसका पुलिस वेरीफिकेशन भी कराया जावेगा।

6— चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जाएगी।

7— चयन प्रक्रिया के संबंध में जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छ0ग0) का निर्णय अंतिम एवं बन्धनकारी होगा ।

8— चयन उपरांत कोई जानकारी असत्य पाई जाती है तो की गई नियुक्ति समाप्त कर दी जावेगी। साथ ही संबंधित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

9— चुने गये अभ्यर्थियों की नियुक्ति सिविल जिला दुर्ग के अंतर्गत किसी भी न्यायालय अथवा अनुभाग में की जा सकती है तथा नियुक्ति स्थल पर निवास करना आवश्यक होगा ।

10— उपरोक्त विज्ञप्ति में दर्शित रिक्त पदों की संख्या परिवर्तनीय होगी जिसे बढ़ाया या कम किया जा सकेगा।

नियुक्तु हेतु चयन विधि

(1) सहायक प्रोग्रामर, स्टेनोग्राफर, सहायक ग्रेड –3 (साक्ष्य लेखक/सहायक अभिलेखापाल/जूनियर नायब नाजिर/सेल अमीन/आदेशिका लेखक) –

प्रथम भाग लिखित परीक्षा

जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छ0ग0) द्वारा एक लिखित स्वतंत्र प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें 50 अंको का एक प्रश्नपत्र होगा, जिसके सभी 50 प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, जिसमें प्रत्येक प्रश्न का 1–1 अंक होगा। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर में चार विकल्प दिए गए होंगे जिसमें से केवल एक विकल्प सही होगा । उक्त वस्तुनिष्ठ प्रश्न सामान्य मानसिक योग्यता एवं सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक विषयों के अंतर्गत होंगे । उक्त परीक्षा की अवधि केवल एक घंटे की होगी ।

द्वितीय भाग—कौशल परीक्षा

लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर मेरिट क्रम में रिक्त पदों के तीन गुना उम्मीदवारों को **सहायक प्रोग्रामर, स्टेनोग्राफर (हिन्दी/अंग्रेजी), सहायक ग्रेड–3 (साक्ष्य लेखक/सहायक अभिलेखापाल/जूनियर नायब नाजिर/सेल अमीन/आदेशिका लेखक**) के पद के संबंध में **हिन्दी/अंग्रेजी शीघ्रलेखन एवं कम्प्यूटर** की कौशल परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जावेगा । लेकिन विज्ञापित पद के लिए प्राप्त आवेदन या लिखित परीक्षा में शामिल उम्मीदवारों की संख्या कम होने पर या लिखित परीक्षा में अंतिम क्रमांक पर एक समान अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की संख्या एक से अधिक होने पर कौशल परीक्षा के लिए चयनित उम्मीदवारों की संख्या 3:1 से कम या अधिक हो सकती है। दो उम्मीदवारों द्वारा समान अंक अर्जित करने की दशा में प्रथमतः अधिक आयु वर्ग वाले को वरीयता दी जावेगी, यदि आयु भी समान होगी, तो प्रथम भाग लिखित परीक्षा, सामान्य मानसिक योग्यता एवं सामान्य ज्ञान में अधिक अंक पाने वाले उम्मीदवार को वरिष्ठता दी जाएगी । मुद्रलेखन का मान्यता प्राप्त संस्थान से उत्तीर्ण सर्टिफिकेट पर्याप्त होगा। पृथक से मुद्रलेखन की परीक्षा नहीं ली जायेगी।

सहायक प्रोग्रामर पद के लिये –
कौशल परीक्षा :– 50 अंक

नोट :– यूनिक्स/ओपन सोर्स साफ्टवेयर/विंडोज/एन.टी. व तकनीकी से संबंधित कौशल परीक्षा ली जावेगी।

अंग्रेजी स्टेनोग्राफर के पद हेतु :–

अंग्रेजी स्टेनोग्राफर के पद हेतु उम्मीदवार को 100 शब्द प्रति मिनट की गति से 05 मिनट का अंग्रेजी श्रुत लेख दिया जायेगा, जिसे परीक्षा के निर्धारित समय 40 मिनट की समयावधि में शुद्धता से कम्प्यूटर से टाईप करना होगा।

कौशल परीक्षा – 50 अंक

हिन्दी स्टेनोग्राफर के पद हेतु :–

हिन्दी स्टेनोग्राफर के पद हेतु उम्मीदवार को 100 शब्द प्रति मिनट की गति से 05 मिनट का हिन्दी श्रुत लेख दिया जायेगा, जिसे परीक्षा के निर्धारित समय 40 मिनट की समयावधि में शुद्धता से कम्प्यूटर से टाईप करना होगा।

कौशल परीक्षा – 50 अंक

सहायक ग्रेड–03 (साक्ष्य लेखक/सहायक अभिलेखापाल/जूनियर नायब नाजिर/सेल अमीन/आदेशिका लेखक) के पद हेतु :–

इस पद हेतु उम्मीदवार को 250 शब्द के गद्यांश को 10 मिनट की समयावधि में कम्प्यूटर में टाईप करना होगा।

कौशल परीक्षा – 50 अंक

II - चयन प्रकिया
भृत्य के पद हेतु :–

(1) साक्षात्कार – 10 अंक

प्रथम चरण – चपरासी (प्यून) के पदों पर चयन हेतु रिक्त पदों की संख्या से 50 गुणा तक आवेदन प्राप्त होने पर सभी उम्मीदवारों को साक्षात्कार हेतु बुलाया जावेगा, किन्तु रिक्त पदों की संख्या से 50 गुणा से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर उम्मीदवारों की छटनी हेतु जो प्रकिया अपनाई जायेगी उसे आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि के उपरांत जिला न्यायालय दुर्ग की वेबसाईट **ecourts.gov.in/durg** पर अपलोड कर दी जायेगी।

यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि किसी अभ्यर्थी ने सहायक प्रोग्रामर, स्टेनोग्राफर (हिन्दी/अंग्रेजी) एवं सहायक ग्रेड–3 (साक्ष्य लेखक/सहायक अभिलेखापाल /जूनियर नायब नाजिर/सेल अमीन/आदेशिका लेखक) दोनों पदों के लिए आवेदन दिया

है तो ऐसे अभ्यर्थी का एक ही बार लिखित परीक्षा तथा कौशल परीक्षा लिया जावेगा जो दोनों पदों के लिए मान्य होगा । लिखित परीक्षा का अंक कौशल परीक्षा में नहीं जोड़ा जायेगा। कौशल परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर योग्य उम्मीदवार की श्रेणीवार/वर्गवार तथा अलग से प्रावीण्य सूची तैयार की जाएगी । परन्तु ऐसे उम्मीदवारों का कोई अधिकार तब तक नहीं होगा, जब कि, नियुक्तिकर्ता अधिकारी की ऐसी जांच के बाद, जो आवश्यक समझी जाए, इस बात से समाधान न हो जाए कि, उम्मीदवार सेवा में नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से योग्य है।

अन्य आवश्यक सूचना

01. जो अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया एवं परीक्षा को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने का प्रयास करेंगे, उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर निरस्त कर दी जाएगी।

02. जिन उम्मीदवारों का आवेदन पत्र समय अवधि में कार्यालय में प्राप्त होगा, उन आवेदन पत्रों की छंटाई के पश्चात् आवेदकों को रोल नम्बर आबंटित किया जावेगा। आबंटित रोल नम्बर, नाम, पिता/पति का नाम एवं पता सहित सूची परीक्षा की तिथि, समय एवं स्थान की जानकारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्ग की वेबसाईट **ecourts.gov.in/durg** पर अपलोड किया जावेगा तथा अपलोड किये जाने की सूचना स्थानीय समाचार पत्र में विज्ञप्ति के माध्यम से दी जावेगी। जिला न्यायालय दुर्ग के नोटिस बोर्ड पर भी योग्य उम्मीदवारों की सूची चस्पा की जावेगी तथा वेबसाईट में भी दिया जावेगा। उम्मीदवार वेबसाइट से अपने रोल नंबर डाउनलोड कर सकेंगे।

03. यदि किसी कारण से अभ्यर्थी को परीक्षा की सूचना विलंब से प्राप्त होती है तो उसके लिए कार्यालय की जवाबदारी नहीं होगी।

डाक द्वारा भेजे गये आवेदन पत्रों के निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त होने या नहीं प्राप्त होने की जवाबदारी इस कार्यालय की नहीं होगी ।

लिखित एवं कौशल परीक्षा के लिए अभ्यथियों को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित रहना होगा। उन्हें किसी प्रकार का यात्रा व्यय देय नहीं होगा ।

अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने की स्थिति में कौशल परीक्षा एक से अधिक पाली में ली जा सकेगी ।

चयन समिति
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग

आवेदन पत्र का प्रारूप

सहायक प्रोग्रामर, स्टेनोग्राफर (हिन्दी/अंग्रेजी) सहायक ग्रेड –3 (साक्ष्य लेखक/सहायक अभिलेखापाल/ जूनियर नायब नाजिर/सेल अमीन/ आदेशिका लेखक) एवं भृत्य

(जिस पद/पदों के लिए आवेदन करें उसे टीक करें)

प्रति,

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,

जिला एवं सत्र न्यायालय,

दुर्ग (छ0ग0)

आवेदक का स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट आकार का नवीनतम फोटो

1. आवेदित पद का नाम

2. आवेदक का पूरा नाम (हिन्दी में)

3. आवेदक का पूरा नाम (अंग्रेजी में केपिटल अक्षर में)

4. लिंग– (√ अंकित करें) पुरूष ☐ महिला ☐

5. पिता/पति का नाम

6. (अ) पत्र व्यवहार का वर्तमान पता

(ब) स्थायी पता (यदि उपरोक्त से भिन्न न हो तो "तदैव" लिखें)

7. (अ) जन्म तिथि अंकों में — दिन / माह / वर्ष

शब्दों में जन्म तिथि

(ब) दिनांक 01/01/2016 को आयु वर्ष माह दिन — वर्ष / माह / दिन

.........क्रमशः

8. क्या आवेदक छ.ग. का मूल निवासी है ? (जो लागू न हो उसे काँट दें) | हां | नहीं |

(यदि हां तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें ।)

9. क्या आवेदक छ.ग. शासन द्वारा छ.ग. के लिए घोषित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य है ? | हां | नहीं |

(यदि हां, तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें ।)

10. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग अंकित करें ।

11. क्या आवेदक दिव्यांग है ? | हां | नहीं |

(यदि हां, तो दिव्यांग संबंधी जिला मेडिकल बोर्ड का सत्यापित प्रमाण–पत्र की छायाप्रति संलग्न करें ।)

12. यदि दिव्यांग है तो – दिव्यांगता का प्रकार

13. क्या आवेदक भूतपूर्व सैनिक है ? | हां | नहीं |

(यदि हां तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें ।)

14. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन क्रमांक दिनांक

15. रोजगार कार्यालय का नाम ....

16. क्या आवेदक विवाहित है ? | हां | नहीं |

17. यदि विवाहित है, तो विवाह की तिथि

18. जीवित बच्चों की संख्या ....

क्रमांक	बच्चे के नाम	लिंग(स्त्री/पुरुष)	बच्चे की जन्मतिथि

.........क्रमशः

19. शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता (प्रमाण–पत्रों की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)

क्रं.	परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	बोर्ड / वि.वि. का नाम	विषय	प्राप्तांक / पूर्णांक एवं प्रतिशत

20 . क्या आवेदक शासकीय अर्धशासकीय संस्था में कार्यरत् है ?
(यदि हां तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें ।

हां	नहीं

21. संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची :–

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....

टीप :–स्वयं द्वारा अभिप्रमाणित दस्तावेज मान्य किये जायेंगे।

<u>घोषणा</u>

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूं कि इस प्रपत्र में दिये गये समस्त विवरण तथा संलग्न अभिलेख मेरी व्यक्तिगत जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है और यदि ये झूठे पाये जाते है, तो मेरी उम्मीदवारी / नियुक्ति निरस्त किये जाने योग्य होगी ।

आवेदक के हस्तक्षर

दिनांक ....

नाम एवं पूरा पता

स्थान ....